न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, अनूपगढ

पीठासीन अधिकारी—अशोक सांगवा R.A.S.

न्याय निर्णयन प्रकरण संख्या—27/2025 (खाद्य पदार्थ नमूना संख्या के—1375)

राजस्थान सरकार जरिये हंसराज गोदारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

—प्रार्थी

बनाम

श्री विशनलाल सारस्वत पुत्र श्री मंगलाराम (मालिक व विक्रेता)
मैसर्स—हनुमंत किरयाना स्टोर, मैन बाजार,घडसाना जिला श्रीगंगानगर।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(i), 51 FSSA Act 2006

—निर्णय:—

दिनांक—23.06.2025

यह इस्तगासा **श्री हंसराज गोदारा**, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2)(i) व **धारा 51** के अन्तर्गत पेश किया है। प्रस्तुत इस्तगासा में वर्णित तथ्य इस प्रकार है—

यह है कि परिवादी तत्कालिक खाद्य सुरक्षा अधिकारी **श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता** दिनांक 12.02.2022 को दोपहर 2:00 बजे **मैसर्स—हनुमंत किरयाना स्टोर, मैन बाजार, घडसाना** पर पहुँचा। मौके पर विक्रेता **श्री विशनलाल सारस्वत पुत्र श्री मंगलाराम (मालिक व विक्रेता)** को अपना परिचय देकर दुकान पर रखे **घी (प्रसंग घी)** के बारे में जानकारी चाही इस पर विक्रेता ने स्वयं को दुकान का मालिक बताया तथा दुकान के अंदर 200—200 मिली के प्लास्टिक पैक 10 डिब्बे **घी (प्रसंग घी)** को आमजन को बेचान के वास्ते बताया। मुझे इसी **घी (प्रसंग घी)** मे मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जांच वास्ते **घी (प्रसंग घी)** का नमूना लेने की इच्छा विक्रेता को फार्म नं.—5 ए भरकर देते हुए वयक्त की मौके पर ही विक्रेता को फार्म नं.—5 ए भरकर दिया, जिस पर विक्रेता, गवाहान के व तत्कालिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

तत्कालिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण कर आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध **घी (प्रसंग घी)** 200 मिली की 4 पैक को विक्रेता से खरीद कर लिया। विक्रेता का मौके पर ही उक्त क्रयशुदा **घी (प्रसंग घी)** का नगद भुगतान **400/—**रूपए किया तथा केशमीमो बनवाकर लिया। जिस पर विक्रेता, गवाहान व तत्कालिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। कैशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

तत्कालिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे **श्री विशनलाल सारस्वत पुत्र श्री मंगलाराम (मालिक व विक्रेता)** एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किए। स्वयं तत्कालिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किए। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता **श्री विशनलाल सारस्वत पुत्र श्री मंगलाराम (मालिक व विक्रेता)** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म सं.—5 ए मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

तत्कालिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **घी (प्रसंग घी)** 200 मिली की चारो मूल पैक डिब्बो पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलो पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक **के—1375** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किए एवं खाद्यकारोबारकर्ता एवं गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारो नमूना भागो को अलग—अलग खाकी कागज मे लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं **के—1375** नियमानुसार चारो नमूना भागो पर नीचे से ऊपर तक गोलाई मे गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारो नमूना भागो के पेपर स्लीप एवं रेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द नमूना भागो को अपने जाप्ते मे लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे मालिक विशनलाल एवं गवाहान ने भी पढ़कर, समझकर व सही मान कर हस्ताक्षर किये एवं

तत्कालिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी मौका फर्द पर हस्ताक्षर किये, जो न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति नमूने के आउटर कवर मे सीलबंद कर सील मोहर कर अगले कार्य दिवस में खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की, जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। फॉर्म संख्या 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे मे बंद कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर फॉर्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बंद नमूना भाग मय फॉर्म नं. 6 की दो प्रतियां एवं चौथा भाग मय फार्म सं 06 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बंद कर डी. ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की, जो न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

खाद्य विश्लेषक बीकानेर से नमूने की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात **डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को पत्र क्रमांक FSSA/2022/142-43 दिनांक 14.03.2022** के द्वारा ज्ञात हुआ जो कि खाद्य विश्लेषक बीकानेर की जांच रिपोर्ट संख्या–एलएस/260/एक्ट/2022/260 दिनांक 25.02.2022 के द्वारा **Sub-standard Food** होना पाया गया है। जांच रिपोर्ट मय अग्रेषित पत्र मूल संलग्न न्याय निर्णयन आवेदन है।

श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधी नियंत्रण राज. जयपुर के पत्रांक– आयुक्त/खा.सु.औ. नि./स.सी./2023/3096 दिनांक 02.08.2023 के द्वारा वर्तमान खाद्य सुरक्षा अधिकारी हंसराज गोदारा को उक्त प्रकरण को संस्थित करने हेतु अधिकृत किया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी हंसराज गोदारा ने श्रीमान् अभिहित अधिकारी, श्रीगंगानगर को दिनांक 11.08.2023 के साथ मूल पत्रावली वास्ते अभियोजन स्वीकृति पेश किया। उक्त पत्र परिवाद संग संलग्न है। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस मे अभियोजन स्वीकृति पत्र क्रमाक1220–21 दिनांक 17.08.2023 संस्थित करने हेतु अधिकृत किया है।

उक्त प्रकरण मे अप्रार्थी **श्री विशनलाल सारस्वत पुत्र श्री मंगलाराम (मालिक व विक्रेता)** से खाद्य पदार्थ **घी (प्रसंग घी) Sub-standard Food** का विक्रय करके **खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2) (ii)** का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। श्रीमान् जी से निवेदन है कि उक्त प्रकरण में विक्रेता को अधिक से अधिक आर्थिक दण्ड से दण्डित करने की कृपा करें।

राजस्व(ग्रुप–1) की अधिसूचना क्रमांक/प.7(27) राज/2 /2023 –06221 दिनांक 24.01.2025 के द्वारा अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर मे स्वीकृत ए.डी.एम. के पद को यथावत रखने के कारण ए.डी.एम कार्यालय का सृजन किया गया है। उक्त अनवान की पत्रावली इस न्यायालय को कार्यालय जिला कलक्टर श्रीगंगानगर से हस्तांतरित होकर प्राप्त हुई है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट पुनः नये नं. पर दर्ज रजिस्टर की गई।

अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी पर नोटिस तामिल होने के उपरांत अधिवक्ता श्री रमेश सारस्वत उपस्थित हुये एव जवाब पेश कर निवेदन किया कि उपरोक्त सैम्पल की कथित कार्यवाही मनमाने तरीके से की गई जो नियमानुसार नही की गई है तथा सैम्पल लेने की फर्द मे किसी भी स्वतत्र साक्षी को मौका पर नही बुलाया गया। फार्म सं.–5 ए मौका पर तैयार नही किया गया तथा ना ही फार्म सं.–5 ए मौका पर पढ कर सुनाया गया है ना ही इस कार्यवाही के संबंध में मौका पर किसी स्वतंत्र साक्षी को नही बुलाया गया है। मौका पर कोई फर्द मौका तैयार नही की गई ना ही किसी तरह की कोई फर्द पढ कर मौका पर सुनाई गई। अपने ही विभाग द्वारा अपने अधिकारियो से मिलीभगत गलत तथ्यो पर अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की गई। इस कारण अस्वीकार है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यो व अप्रार्थी द्वारा विक्रय खाद्य पदार्थ **घी (प्रसंग घी)** के नमूना जांच की खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बीकानेर के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट **क्रमांक L.S.260/Act/2022/260 दिनांक 25.02.2022** में खाद्य पदार्थ **घी (प्रसंग घी) एफ.एस.एस.ए. अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii), 51** का उल्लघन करते हुए नमूना **के–1375 Sub-Standard** पाया गया है। अतः खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(।।) के अन्तर्गत प्रावधान के अनुसार कोई भी खाद्य व्यवसाय संचालक स्वयं या अपनी ओर से

किसी व्यक्ति द्वारा कभी भी खाद्य पदार्थ का निर्माण, भंडारण, बिक्री या वितरण नहीं करेगा जो गलत ब्रांडेड या घटिया है या जिसमें बाहरी पदार्थ शामिल है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाव में यह प्रमाणित होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ उसकी दुकान से क्रय किया गया था। अप्रार्थी द्वारा **Sub-Standard** खाद्य पदार्थ, उपभोक्ता द्वारा पूरी कीमत चुकाने के बावजूद बेचना उपभोक्ता के विश्वास के बंध को तोड़ता है जो एक उपभोक्ता एवं दुकानदार के बीच होता है। ऐसा नहीं माना जा सकता है कि दुकानदार/विक्रेता को उपरोक्त खाद्य पदार्थ की गुणवता के सम्बन्ध में जानकारी न हो। कीमतन शुद्ध खाद्य पदार्थ प्राप्त करना आम ग्राहक का अधिकार है। यह जीवन के मूल–भूत अधिकार में अंतर्निहित है। आम जन मानस इस विश्वास के साथ खाद्य पदार्थ कीमतन खरीदता है कि उसे उस कीमत का शुद्ध खाद्य पदार्थ मिलेगा जिसकी उसने कीमत चुकाई है। अप्रार्थी द्वारा **Sub-Standard** खाद्य पदार्थ बेचकर उस विश्वास को तोड़ा गया है। अप्रार्थी द्वारा उक्त कृत्य कर एफ.एस.एस.ए. 2006 धारा 26(2)(।।), 51 का उल्लंघन किया है। अतः लोक स्वास्थ्य व उपभोक्ता सुरक्षा की दृष्टिकोण को न्यायहित/लोकहित में रखकर एवं एफ. एस.एस.ए 2006 की धारा **26(2)(।।), 51** के अन्तर्गत प्रावधान के मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थी द्वारा विक्रय किये गये खाद्य पदार्थ **घी (प्रसंग घी)** हेतु **श्री विशनलाल सारस्वत पुत्र श्री मंगलाराम (मालिक व विक्रेता) मैसर्स–हनुमंत किरयाना स्टोर, मैन बाजार,घडसाना** द्वारा विक्रय खाद्य पदार्थ **घी (प्रसंग घी) Sub-Standard पाये जाने पर 75,000/–रूपये (पचहत्तर हजार रूपये)** आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक–23.06.2025 को सुनाया गया।

(अशोक सांगवा)आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, अनूपगढ

ADDITIONAL DISTRICT MAGISTRATE ANUPGARH